ASU2A10a-hindoustani-Hindu-vivah-2012-11-12

हिन्दू विवाह

(1) हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह का अर्थ है - विशेष रूप से (उत्तरदायित्व का) वहन करना। (2) हिन्दू विवाह को सामान्य रूप से पाणिग्रहण संस्कार के नाम से जाना जाता है। (3) अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है लेकिन हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म-जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे किसी भी हालत में नहीं तोड़ा जा सकता। (4) हिन्दू विवाह में अग्नि के सात फेरे ले कर और ध्रुव तारा को साक्षी मान कर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। (5) हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास तथा वानप्रस्थ) में बाँटा गया है और गृहस्थ आश्रम के लिये पाणिग्रहण संस्कार अर्थात् विवाह आवश्यक है।

विवाह के प्रकार - **1. ब्रह्म विवाह –** दो पक्षों की सहमति से समान वर्ग के लड़के-लड़कियों का विवाह तय कर देना 'ब्रह्म विवाह' कहलाता है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषणयुक्त करके विदा किया जाता है। **2. दैव विवाह –** किसी धार्मिक सेवा कार्य के मूल्य के रूप अपनी कन्या को दान में दे देना 'दैव विवाह' होता है। **3. आर्श विवाह –** कन्या-पक्ष वालों को कन्या का मूल्य दे कर (सामान्य रूप से 'गौदान' करके) कन्या से विवाह कर लेना 'आर्श विवाह' कहलाता है। **4. प्रजापत्य विवाह –** कन्या की सहमति माँगे बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर देना 'प्रजापत्य विवाह' कहलाता है। **5. गंधर्व विवाह –** परिवार वालों की सहमति के बिना जब लड़के और लड़की बिना किसी रीति-रिवाज के आपस में विवाह कर लेते हैं तो इस तरह के विवाह को 'गंधर्व विवाह' कहा जाता है। **6. असुर विवाह –** कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना 'असुर विवाह' कहलाता है। **7. राक्षस विवाह –** कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना 'राक्षस विवाह' कहलाता है। **8. पैशाच विवाह –** कन्या की मदहोशी (गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि) का लाभ उठा कर उससे शारीरिक सम्बंध बना लेना और बाद में उससे विवाह करना 'पैशाच विवाह' कहलाता है।

विवाह – जब बारात पहुँचती है तो द्वार पूजा की जाती है। सबसे पहले लड़के का स्वागत तिलक लगाकर किया जाता है। विवाह वेदी पर वर और कन्या दोनों को बुलाया जाता है और उन पर पुष्प तथा अक्षत डाले जाते हैं। कन्या दायीं ओर तथा वर बायीं ओर बैठता है। कन्यादान करने वाले प्रतिनिधि कन्या के पिता या भाई अपनी पत्नी सहित कन्या की ओर बैठते हैं। पत्नी दाहिने और पति बायीं ओर बैठें। फिर लड़के और लड़की पर हल्दी चढ़ाई जाती है। इसके बाद लड़के के दाहिने हाथ में तथा कन्या के बायें हाथ में रक्षा सूत्रकंकण (पीले वस्त्र में कौड़ी, लोहे की अँगूठी, पीली सरसों, पीला अक्षत आदि) बाँधा जाता है।

परस्पर उपहार – वर पक्ष की ओर से कन्या को और कन्या पक्ष की ओर से वर को वस्त्र-आभूषण भेंट किये जाने की परम्परा है। यहाँ प्रतीक रूप से पीले दुपट्टे एक-दूसरे को भेंट किये जाते हैं। यही ग्रन्थि बन्धन के भी काम आ जाते हैं। अँगूठी तथा मंगलसूत्र पहनाए जाते हैं।

कन्यादान तथा गुप्तदान – कन्यादान के समय कुछ अंशदान देने की प्रथा है। आटे की लोई में छिपाकर कुछ धन कन्यादान के समय दिया जाता है। दहेज का यही स्वरूप है। बच्ची के घर से विदा होते समय उसके अभिभावक किसी आवश्यकता के समय काम आने के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन देते हैं, पर होता वह गुप्त ही है। अभिभावक और कन्या के बीच का यह निजी उपहार है। दूसरों को इसके सम्बन्ध में जानने या पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आटे में साधारणतया एक रुपया इस दहेज प्रतीक के लिए पर्याप्त होता है।

कन्यादान का अर्थ

लड़की के माता-पिता अपने उत्तरदायित्वों को वर तथा उसके परिवार वालों को सौंपते हैं। शादी के दिन तक लड़की के माता-पिता ने कन्या के पोषण, विकास, सुरक्षा, सुख-शान्ति आदि का प्रबंध किया, लेकिन शादी के बाद इस सब

की ज़िम्मेदारी लड़के और उसके परिवार के लोगों की होती है। कन्या नये घर में जाकर विरानेपन का अनुभव न करे इसका पूरा ध्यान लड़के के माता-पिता को रखना होता है।

गोदान
विवाह के अवसर पर लड़की के माता-पिता गाय का दान भी करते हैं। आज की स्थिति में यदि गाय का दान असुविधाजनक हो, तो उसके लिए कुछ धन देकर गोदान की परंपरा को जीवित रखा जाता है।

पाणिग्रहण
जब लड़का मर्यादा स्वीकार कर लेता है तो कन्या अपना हाथ वर के हाथ में सौंपती है। और फिर वर अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंपता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पाणिग्रहण करते हैं।

ग्रन्थिबन्धन
वर-वधू द्वारा पाणिग्रहण करने के बाद समाज द्वारा दोनों के दुपट्टे के छोरों में गाँठ लगा दी जाती है जिसका अर्थ है कि शरीर और मन की दृष्टि से अब दोनों एक-दूसरे के साथ पूरी तरह बँधे हुए हैं। ग्रन्थिबन्धन में **धन**, **पुष्प**, **दूर्वा**, **हरिद्रा** और **अक्षत** यह पाँच चीजें भी बाँधते हैं। **पैसा** इसलिए रखा जाता है दोनों की कमाई एक ही होगी। **दूर्वा** का अर्थ है- कभी निजीर्व न होने वाली प्रेम भावना। **हरिद्रा** का अर्थ है- आरोग्य, एक-दूसरे के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को सुविकसित करने का प्रयतन करें। **अक्षत** सामूहिक-सामाजिक उत्तरदायित्वों का स्मरण कराता है। अर्थात दोनों एक-दूसरे के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी हैं। **पुष्प** का अर्थ है, हँसते-खिलते रहना।

वर-वधू की प्रतिज्ञाएँ
कन्यादान, पाणिग्रहण एवं ग्रन्थि-बन्धन के साथ ही वर-वधू विवाह के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं और समाज द्वारा उन्हें स्वीकृति मिल जाती है। उन्हें अपने कर्त्तव्य तथा धर्म के पालन का संकल्प लेना पड़ता है। इस दिशा में पहली जिम्मेदारी वर की होती है इसलिए पहले वर तथा बाद में वधू को प्रतिज्ञाएँ कराई जाती हैं।

शिलारोहण
शिलारोहण के द्वारा पत्थर पर पैर रखते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार अंगद ने अपना पैर जमा दिया था, उसी तरह हम पत्थर की लकीर की तरह अपना पैर उत्तरदायित्वों को निबाहने के लिए जमाते हैं।

परिक्रमा (भाँवर) सात फेरे
वर और कन्या बायीं ओर से दायीं ओर चलती हैं। पहली चार परिक्रमाओं में कन्या आगे रहती है और वर पीछे। चार परिक्रमा हो जाने पर वर आगे हो जाता है और कन्या पीछे। हिन्दू विवाह में सात फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? माना जाता है कि सात फेरों में **पहला** फेरा अन्न के लिए उठाया जाता है, **दूसरा** बल के लिए, **तीसरा** धन के लिए, **चौथा** सुख के लिए, **पाँचवाँ** परिवार के लिए, **छठवाँ** ऋतुचर्या के लिए और **सातवाँ** मित्रता के लिए उठाया जाता है। मतलब यह कि ईश्वर को साक्षी मानकर पति-पत्नी प्रण करते हैं कि एक दूसरे के लिए अन्न संग्रह, धन संग्रह करेंगे और मित्रता स्थापित करते हुए एक-दूसरे के लिए शक्ति देंगे।

ध्रुव का ध्यान
ध्रुव स्थिर तारा है। अन्य सब तारे गतिशील रहते हैं, पर ध्रुव अपने निश्चित स्थान पर ही स्थिर रहता है। अन्य तारे उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव दर्शन का अर्थ है- दोनों अपने-अपने परम पवित्र कर्त्तव्यों पर उसी तरह दृढ़ रहेंगे, जैसे कि ध्रुव तारा स्थिर है।